साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी संवत् 2073-76 मौजा दुगोली के खाता संख्या 156 -1 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र नेमाराम कि छाया प्रति प्रदर्श-2 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हरकू देवी कि छाया प्रति -3 करवाई। वकील वादी ने और साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी ख्या 1/1 की ओर से राजीनामा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते स नियत की गई।

बहस वकुलाम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा द को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1/1 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी एवं साक्ष्य शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनों तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंशिकतः ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नहीं किया गया है। तहसीलदार जायल को परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— :: आदेश ::—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी को स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी प्रहलादराम उर्फ जायपाल के हक बंट कब्जा काश्त में मैजा दुगोली के खसरा नम्बर 1601 रकबा 14.2611 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 7.1306 हैक्टेयर उत्तरी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी हरेन्द्र के हक बंट कब्जा काश्त में मैजा दुगोली के खसरा नम्बर 1601 रकबा 14.2611 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 7.1305 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी प्रेमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मैजा दुगोली के खसरा नम्बर 1044 रकबा 1.5054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1114 रकबा 1.2383 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1608 रकबा 5.0424 हैक्टेयर, रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।
5. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

निर्णय आज दिनांक 23/09/24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner